

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)
पीठासीन अधिकारी -जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 06/2024/ सरफैसी(जी.सी.एम.एस-2024/6)

एयु स्मॉल फाईनेन्स, बैंक लिमिटेड, कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर
राजस्थान 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी संदीप पारीक।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1 सोहन सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी-208 थडा, सलूम्वर कृष्णा मन्दिर सलूम्वर
जिला सलूम्वर(राज.)-313027
- 2 श्रीमती मीना कंवर पत्नि सोहन सिंह निवासी-208, थडा, सलूम्वर कृष्णा मन्दिर
सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)-313027
- 3 भूमिपाल सिंह चूण्डावत पुत्र सोहन सिंह निवासी थडा सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)
313027
- 4 भारत सिंह निवासी -296, थडा सलूम्वर जिला सलूम्वर(राज.)-313027

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश

दिनांक .07.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध
अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा
अप्रार्थीगण को राशि 4,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा
पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद(सम्पति क्रम संख्या -72, बुक नम्बर-02,
पट्टा संख्या-55476, ग्राम पंचायत थडा, सलूम्वर जिला सलूम्वर(राज.)-313027
कुलिया क्षेत्रफल 82.78 वर्ग गज) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में
रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी
को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के
अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से
नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा
ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.11.2023 तक 3,92,429/- रुपये भुगतान नहीं करने
पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन
रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया।

जिला कलक्टर
सलूम्वर (राज.)



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 4,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.11.2023 तक 3,92,429/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (सम्पत्ति क्रम संख्या -72, बुक नम्बर-02, पट्टा संख्या-55476, ग्राम पंचायत थडा, सलूम्वर जिला सलूम्वर(राज.)-313027 कुलिया क्षेत्रफल 82.78 वर्ग गज) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सन्मलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, सलूम्वर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि वंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(जसमीत सिंह संधू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सलूम्वर